भाषा प्रशिक्षण

- कंपनी में सरकारी मानदंडों के अनुसार, कार्यपालकों और गैर-कार्यपालकों सहित सभी कर्मचारियों (वेतन श्रेणी I और वेतन श्रेणी II के कर्मचारियों को छोड़कर) के लिए हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य है ।

- यथा मई, 2020 को, कंपनी की बेंगलूरु कॉमप्लेक्स, मछिलिपट्टणम और चेन्नै यूनिटों, जहाँ भाषा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, को छोड़कर शेष सभी यूनिटों और कार्यालयों में प्रशिक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है।

- यूनिकोड प्रशिक्षण का कैलेंडर बनाकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाया गया है ।

- प्रशिक्षण के ज़रिए अर्जित कौशल को बनाए रखने के लिए प्रत्येक तिमाही में ऑनलाइन / ऑफलाइन हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं और सितंबर माह यानी हिन्दी माह के दौरान अन्य कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के अलावा डिक्टेशन और पीसी पर की-इन करने जैसी प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं ।

- कार्पोरेट कार्यालय सहित सभी यूनिटों, क्षेत्रीय कार्यालयों, सीआरएल के कर्मचारियों और अधिकारियों को रोस्टर के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित अवधि में भाषा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

टंकण प्रशिक्षण (कंप्यूटर पर)

- कार्यालय में सरकारी मानदंडों के अनुसार, अनुसचिवीय कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों (वेतन श्रेणी-I और वेतन श्रेणी-II के कर्मचारियों को छोड़कर) के लिए हिन्दी टंकण (कंप्यूटर पर) का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है । हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर यथा लागू प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

- कार्पोरेट कार्यालय सहित सभी यूनिटों, क्षेत्रीय कार्यालयों, सीआरएल के कर्मचारियों को रोस्टर के अनुसार निर्धारित अवधि में टंकण प्रशिक्षण (कंप्यूटर पर) की व्यवस्था की जाती है।

अनुवाद प्रशिक्षण

राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी दायित्वों के सुचारु निर्वहन और गुणतापरक अनुवाद प्रदान करने के लिए, कार्पोरेट कार्यालय सहित सभी राजभाषा अधिकारियों और हिंदी अनुवादों को केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एक माह का अनिवार्य अनुवाद प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

Language Training

- As per GoI norms, all employees of the Company including Executives and Non Executives (except Wage Group I and II employees) are required to undergo Hindi Language Training.
- As on May, 2020, except Bengaluru Complex, Machilipatnam and Chennai Units, where language training is being imparted, remaining all Units and Offices have completed language training.
- All Executives and Non Executives have been trained in Unicode training as per training calendar.
- In order to further improve skills acquired through training, online / offline Hindi Workshops are conducted. During September month, i.e. Hindi month, competitions such as Dictation and Keying-in on PC are conducted apart from regular programs and workshops.
- All Executives and Non Executives of Units / Regional Offices / CRLs and Corporate Office are imparted Language training as per roster, as and when required.

Typing Training (On Computers)

- Hindi Typing Training (on Computers) is made compulsory to all the ministerial staff (except Wage Group I and II) as per GoI norms. Incentives are awarded to all the eligible employees who pass the examination conducted by Hindi Teaching Scheme, Dept. of OL, GoI.
- Typing Training (on Computers) is arranged to all the employees of Units, Regional Offices and CRLs including Corporate Office as per roster in due course.

Translation Training

In order to deliver comply with the requirements of OL implementation and render high degree of translation, all OL Officers and Translators have been imparted One Month Compulsory Translation Training conducted by Central Translation Bureau, MHA, GoI.